

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -644 / 2022
अनवान : -

1. अमरचन्द पुत्र शंकर जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार हाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।
3. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
4. माया पत्नी नरेश कुमार जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
5. मीरा पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी नुंआ तहसील नोहर।
6. राजेश कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. विमला पत्नी श्रीभगवान जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
8. सुदेश पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
9. सन्तोष पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

- उपस्थिति :- 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय


दिनांक: 16/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 13.532 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता मुश्तरका है तथा वादी ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक हक व हिस्सा की भूमि रोही मौजा मन्दरपुरा के ख0न0 900 के पूर्वी पश्चिमी कोने पर अपनी हिस्सा की 2.7064 हैक्ट भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने के कारण हमेशा सींव व लगान संबंधित विवाद रहता है इसलिए वादी मुताबिक कब्जा काश्त के हिसाब से उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी को काफी मर्तबा कहा कि विवादित भूमि का खाता व लगान कब्जा व काश्त के मुताबिक अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त


राहुल श्रीवास्तव
नोहर

भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मन्दरपुराम सम्वत 2072-2075 के खाता स0 13/13 पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के उक्त वाद भूमि का खाता प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहता है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 13.532 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. अमरचन्द पुत्र शंकर हि. पूर्ण जाति जाट सा० लाडवी तह० जिला हिसार खातेदार 900/1 की 2.7064 कुल रकबा 2.7064 है. बारानी 1
2. अमीलाल पुत्र श्योकरणराम हि. 1/6 जाति जाट सा० लाखासर खातेदार, पवन कुमार पुत्र मंगतुराम हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, भादरराम पुत्र श्योकरण हि. 1/8 जाति जाट सा० लाखासर खातेदार, माया पत्नि नरेश कुमार हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, मीरा पत्नि लीलूराम हि. 1/4 जाति जाट सा० नुंवा तह. भादरा खातेदार रहन हि. 1/4 एसबीआई एसीजीएम कोर्ट भादरा, राजेश कुमार पुत्र सतवीर हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीनएबी शाखा मन्दरपुराख विमला पत्नि श्री भगवान हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीनएबी शाखा मन्दरपुरा, सुदेश पुत्री रामसिंह 4511/54128 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जि. हिसार खातेदार, सन्तोष पुत्री रामसिंह हि. 9021/108256 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जिला हिसार खातेदार, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह हि. 9021/108256 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जिला हिसार खातेदार -900/2 की 10.8256 कुल रकबा - 10.8256 है. बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -644/2022
अनवान : -

1. अमरचन्द पुत्र शंकर जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार हाल निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।

-वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र मंगतुराम जाति जाट साकिन चैनपुरा तहसील नोहर।
3. भादरराम पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
4. माया पत्नी नरेश कुमार जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर।
5. मीरा पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी नुंआ तहसील नोहर।
6. राजेश कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
7. विमला पत्नी श्रीभगवान जाति जाट निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
8. सुदेश पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
9. सन्तोष पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
10. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी लाडवी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 644 सन 2022 निर्णय दिनांक 16/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 13.532 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. अमरचन्द पुत्र शंकर हि. पूर्ण जाति जाट सा० लाडवी तह० जिला हिसार खातेदार 900/1 की 2.7064 कुल रकबा 2.7064 है. बारानी 1
2. अमीलाल पुत्र श्योकरणराम हि. 1/6 जाति जाट सा० लाखासर खातेदार, पवन कुमार पुत्र मंगतुराम हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, भादरराम पुत्र श्योकरण हि. 1/8 जाति जाट सा० लाखासर खातेदार, माया पत्नि नरेश कुमार हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, मीरा पत्नि लीलूराम हि. 1/4 जाति जाट सा० नुंवा तह. भादरा खातेदार रहन हि. 1/4 एसबीआई एसीजीएम कोर्ट भादरा, राजेश कुमार पुत्र सतवीर हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीनएबी शाखा मन्दरपुराख विमला पत्नि श्री भगवान हि. 1/16 जाति जाट सा० चैनपुरा खातेदार रहन हि. 1/16 पीनएबी शाखा मन्दरपुरा, सुदेश पुत्री रामसिंह 4511/54128 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जि. हिसार खातेदार, सन्तोष पुत्री रामसिंह हि. 9021/108256 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जिला हिसार खातेदार, सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह हि. 9021/108256 जाति जाट सा० लाडवी तह. आदमपुर जिला हिसार खातेदार -900/2 की 10.8256 कुल रकबा - 10.8256 है. बारानी 1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 16/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर